राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक

एक समग्र दृष्टि

।। वन्दे मातरम् ।।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक

एक समग्र दृष्टि

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय

82, पटेल कॉलोनी, गवर्मेन्ट प्रेस के सामने, सी–स्कीम, जयपुर –302001

विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक एक समग्र दृष्टि

साभार : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार, नई दिल्ली

- ❖ प्रथम संस्करण : विक्रम संवत् 2077, युगाब्द 5120
- ❖ सहयोग राशि : 20/-
- ❖ अक्षर संयोजन : **सागर कम्प्यूटर, जयपुर**
- ❖ मुद्रक : **कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर**
- ❖ प्रकाशक : **राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय**

।। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः।।

अपनी बात

प्राचीन काल से ही भारत अपने ज्ञान और विज्ञान से संपूर्ण विश्व को आलोकित करता रहा है क्योंकि भारत की शिक्षा पद्धति हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रही है। भारत को विश्व गुरु के रूप में इसी विशिष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मान्यता प्राप्त रही है। यद्यपि पिछले कुछ कालखंड में यह प्रतिष्ठा विदेशी सोच और राजनीति के कुचक्र में फंस कर अपनी राह भटक गई है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा जगत की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक शैक्षिक आयोगों एवं विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्हीं के आधार पर भारत की शिक्षा नीति बनती रही है किंतु वांछित परिवर्तन और दिशा अभी तक भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में मूलभूत भारतीय चिंतनधारा में विश्वास करने वाले विद्वतजनों ने कठोर परिश्रम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कर राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत की है जिससे हम पुनः शिखर को प्राप्त करने का आधार तैयार करने के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों में पुष्पित, पल्लवित और संवर्धित होता है। यदि उसे उपयुक्त पोषण एवं वातावरण प्राप्त होगा तो निश्चित ही राष्ट्र नंदनवन सा महकेगा। यह शिक्षा नीति इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास साबित होगा।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने अपने कार्यकर्ताओं और समस्त सुधि जनों की सुविधा और उपयोग के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विद्यालय शिक्षा-खण्ड का संक्षिप्त एवं सारगर्भित विवरण सरल शब्दों में देते हुए यह पुस्तिका तैयार की है। हमें विश्वास है कि यह पुस्तिका सभी के लिए अपने-अपने कर्म क्षेत्र में उपयोगी होगी और संगठन का यह प्रयास सार्थक होगा। पुस्तिका तैयार करने में हमें अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विद्वजनों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उनके प्रति इस सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए शैक्षिक जगत के कर्म योद्धाओं को यह पुस्तिका सादर समर्पित है।

ऋषि पंचमी
भाद्रपद शुक्ल 5 वि.सं. 2077 — राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

परिचय

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। अगले दशक तक भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। सन् 2030 तक **'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने'** का लक्ष्य है। भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। शिक्षा में विषयवस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर अधिक जोर होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अन्तर्सम्बन्धों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पायें।

सन् 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिये जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परम्परा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परम्परा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञानार्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। इसी शिक्षा व्यवस्था में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगल, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान् विद्वानों को जन्म दिया। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्त्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। **शिक्षा व्यवस्था में किये जा रहे बुनियादी बदलावों के केन्द्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए।** शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर, हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी क्योंकि **शिक्षक ही नागरिकों को हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं।** नयी शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक सन्दर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए।

शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। 1986 व 1992 की पिछली नीतियों के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क

और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इन्सानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।

मूलभूत सिद्धान्त

मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे -

- हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना।
- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना।
- लचीलापन।
- **कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो** जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊँच-नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके।
- समस्त ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु विषयक और समग्र शिक्षा का विकास।
- अवधारणा समझ पर जोर।
- रचनात्मकता और तार्किक सोच।
- नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य।
- बहु भाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन।

- जीवन कौशल जैसे–आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन।
- सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर।
- तकनीकी के यथासम्भव उपयोग पर जोर।
- सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय सन्दर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान।
- सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन।
- स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–भाल।
- शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना– उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास, और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति।
- शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता– एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढाँचा, स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तीकरण।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध।
- भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना।
- शिक्षा एक सावर्जनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार।
- एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश।

नीति का विजन

इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवन्त और न्यायसंगत ज्ञान समाज में

बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।

स्कूल शिक्षा

यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है।

1. बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा : सीखने की नींव

- बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। ईसीसीई सम्भवतया समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों।
- ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।
- एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा (एनसीपीएफईसीसीई) विकसित किया जाएगा अर्थात् 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब-फ्रेमवर्क और 3-8 साल के लिए एक अन्य सब-फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। ईसीसीई उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध हैं और वे स्थानीय परम्पराओं में विकसित हुई हैं, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है, इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता-पिता

दोनों के साथ–साथ आंगनबाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

- भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना वृहद् लक्ष्य होगा। विस्तृत और सशक्त ईसीसीई संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू किया जाएगा जिसको –

(क) पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से

(ख) प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से तथा

(ग) अकेले चल रहे प्री–स्कूल के माध्यम से लागू किया जाएगा।

ये सभी विद्यालय ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों/शिक्षकों को भर्ती करेंगे।

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सार्वभौमिक पहुँच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढाँचे, खेलने के उपकरण और पूर्णरूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों/समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जायेगा और आंगनबाड़ी बच्चों, माता–पिता और शिक्षकों को स्कूल/ स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
- यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या **'बालवाटिका'** (जो कि कक्षा 1 से पहले) में स्थानांतरित हो जायेगा जिसमें एक ईसीसीई योग्य शिक्षक है।
- ईसीसीई शिक्षकों के शुरूआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम/शिक्षण–शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया

जाएगा। दीर्घावधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कॅरियर मैपिंग के जरिये आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना होगा।

- ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकें।

2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

- विभिन्न सरकारी साथ ही गैर–सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि **हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं।** वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है।
- **सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा** जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा। सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिह्नित कार्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जाँच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी।
- **सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा।** विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहाँ शिक्षक–

बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो या जहाँ साक्षरता की दर निम्न हो, वहाँ स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात (पीटीआर) 30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात (पीटीआर) 25:1 से कम हो।

- **पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा।**
- बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है।
- **द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा)** पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। **तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा।** इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषायी बाधाओं को भी दूर करने के उपाय शामिल हैं।
- वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है। जब सहपाठी एक-दूसरे से सीखते-सिखाते हैं तो यह काफी प्रभावी होता है।
- सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किये जायेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी।

- बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा। पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसल और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होती है। इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए हैल्थ कार्ड जारी किए जायेंगे।

3. ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना

- स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्राप आउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुँच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा।
- प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो। **सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी** और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ स्कूल नहीं हैं वहाँ अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण स्कूल बनाकर

और छात्रावास बनाकरकिया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले।

- स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के जरिये 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। **प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सकें।**
- एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढाँचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा। इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी।
- सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर तथा स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अन्दर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें।
- बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/ सरकारी/ अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जायेगा।

4. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र

5+3+3+4 के नई डिजाईन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र

को पुनर्गठित करना

- स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की जरूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी।

5+3+3+4 डिजाइन

* आंगनबाड़ी/ प्री-स्कूल के 3 साल +
* **कक्षा 1-2** प्राथमिक स्कूल में 2 साल (3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित)
* **कक्षा 3-5** (8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित)
* **कक्षा 6-8** मिडिल स्कूल स्टेज (11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित)
* **कक्षा 9 से 12** सैकण्डरी स्टेज दो फेज में
  - पहले फेज में कक्षा **9 और 10** एवं।
  - दूसरे फेज में कक्षा **11 और 12** (14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित)

- **फाउंडेशन स्टेज में पाँच वर्षीय लचीली बहु स्तरीय खेल/गतिविधि आधारित अध्ययन ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र शामिल होंगे।** इस प्रकार ज्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिये अध्ययन अध्यापन की ओर बढ़ेगी। मिडिल स्टेज में भी तीन वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा। सैकण्डरी स्टेज में चार साल के बहु विषयक अध्ययन शामिल होंगे जो इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षकक्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे। **ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11 व 12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे।**

विद्यार्थियों का समग्र विकास

सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केन्द्र बिंदु शिक्षा प्रणाली की रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और इक्कीसवीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशल और मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या ढाँचा और सम्पर्क तंत्र विकसित किया जाएगा।

अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने

पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केन्द्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सकें।

प्रायोगिक अधिगम

सभी चरणों में प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा जिसमें अन्य चीजों के अलावा स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा और कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही विभिन्न विषयों के बीच सम्बन्धों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा। कला समन्वय (आर्ट इंटीग्रेशन) एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है।

खेल समन्वय एक और क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं

में उपयोग किया जाता है। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है और संज्ञानात्मक क्षमताएँ भी बढ़ती है।

कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना

विद्यार्थियों को विशेषरूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिये जाएंगे। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतन्त्र हो सके। **साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों के विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषता होगी।** पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी कई श्रेणियाँ नहीं होगी। उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचिपूर्ण और सुरक्षित है और क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

स्कूली शिक्षा के चार चरणों में से प्रत्येक, विभिन्न क्षेत्रों में जो सम्भव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है। राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी के विषयों के अधिक से अधिक लचीलेपन और आनन्द के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों पर ध्यान देना चाहिए।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति

- **छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। जहाँ तक सम्भव**

हो, कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/ मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी इसके बाद घर/ स्थानीय भाषा को जहाँ भी सम्भव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे।

- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देशभर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा। राज्य विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, अपने-अपने राज्यों में त्रि-भाषा फार्मूले को अपनाने के लिए और साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्वि-पक्षीय समझौते कर सकते हैं।
- **त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालाँकि त्रि-भाषा के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।**
- कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परम्पराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है।
- **देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान 'द लैंग्वेज ऑफ इंडिया' पर एक मजेदार प्रोजेक्ट/गतिविधि में भाग लेगा।** इस प्रोजेक्ट में छात्र अधिकांश रूप में प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। यह प्रोजेक्ट/ गतिविधि एक रुचिकर और आनन्ददायी गतिविधि होगी और इसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होगा।
- संस्कृत को त्रि-भाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा।

- देश के बच्चों के संवर्धन के लिए सार्वजनिक या निजी सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के पास भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम दो साल सीखने का विकल्प होगा। सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा जिसमें सरलीकरण और एप्स के माध्यम से भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं को जोड़ते हुए और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ सम्बन्धों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। इस प्रकार भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक–अधिगम शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा।
- चरणों में समसामयिक विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिंजेस आदि जैसे समसामयिक विषयों की शुरूआत सहित सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्त्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने हेतु समुचित शिक्षाक्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय कदम उठाए जाएंगे।
- गणित और गणितीय सोच भारत के भविष्य और कई आगामी क्षेत्रों और व्यवसायों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। फाउंडेशन स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों, जिनमें पहेलियाँ और गेम का नियमित उपयोग शामिल है जो गणितीय सोच को अधिक आनन्ददायी और आकर्षक बनाते हैं, के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। **मिडिल स्कूल स्तर पर कोडिंग सम्बन्धी गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी।**
- विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए एक आनन्ददायी कोर्स करेगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्राप्त करेगा।
- **कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक दस दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे।** तब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में

काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराये जा सकते है। वर्षभर में ऐसे बस्ता रहित दिनों को विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

- '**भारत का ज्ञान**' में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल होगा। इन तत्त्वों को पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में जहाँ भी प्रासंगिक हो वहाँ वैज्ञानिक तरीके से और एक सटीक रूप में शामिल किया जाएगा।
- विद्यार्थियों को कम उम्र में 'सही को करने' के महत्त्व को सिखाया जाएगा, और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढाँचा दिया जाएगा।
- **भारतीय संविधान के अंश भी सभी छात्रों के लिए पढ़ना आवश्यक माना जाएगा।** स्वास्थ्य में बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ ही शराब, तम्बाकू और अन्य मादक पदार्थों के हानिकारक और विपरीत प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके बाकी सभी स्तरों तक पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र को एक मजबूत भारतीय और स्थानीय सन्दर्भ देने की दृष्टि से पुनर्गठित किया जायेगा। उदाहरणों और समस्याओं आदि का चयन जहाँ तक सम्भव हो भारतीय और स्थानीय भौगोलिक सन्दर्भों के आधार पर किया जायेगा। शिक्षा को इस तरह का आधार मिलने पर निश्चित रूप से अमूर्त, चिन्तन, नए विचारों और रचनात्मकता को निखरने का अवसर मिलेगा।

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएसई)

- स्कूली शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020-21, सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार

किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

- स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी और बढ़े हुए लचीलेपन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ-साथ स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में भी बदलाव होने चाहिए। सभी पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण मानी जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री को शामिल करना होगा लेकिन इसके साथ ही स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को भी शामिल करना चाहिए। शिक्षकों के पास भी तय पाठ्यपुस्तकों में अनेक विकल्प होंगे। उनके पास अब ऐसी पाठ्यपुस्तकों के अनेक सेट होंगे जिसमें अपेक्षित राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री शामिल होगी।
- **पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र में उपयुक्त परिवर्तनों के जरिए स्कूल बैग और पाठ्यपुस्तकों के बोझ को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।**

विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल-चूल परिवर्तन

- हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन के उद्देश्य को योगात्मक, जो मुख्य रूप से रटकर याद करने के कौशल को ही जाँचता है, से हटकर नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा जो अधिक दक्षता आधारित है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा। यह शिक्षक, विद्यार्थी और पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में मदद करेगा। **यह शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होगा।**
- प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल

आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावकों को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जायेगा। यह समग्र प्रगति कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बनेगा और माता-पिता-शिक्षक बैठकों के साथ-साथ अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में माता-पिता को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए होगा।

- **बोर्ड परीक्षा और प्रवेश सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति और परिणामस्वरूप आज की कोचिंग संस्कृति विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बहुत नुकसान कर रही है।**
- **ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएँ जारी रहेंगी।**
- कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से डिजाइन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को भी इस मायने में आसान बनाया जाएगा कि वे कोचिंग और रटने के बजाय मुख्य रूप से क्षमताओं/ योग्यताओं का ही आकलन करेगी। बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए **सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एक मुख्य परीक्षा और यदि वांछित हो तो एक सुधार के लिए।**
- बोर्ड अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए अन्य समुचित मॉडल भी विकसित कर सकते हैं ताकि कोचिंग संस्कृति और परीक्षा दबावों को कम किया जा सकें। कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा को दो भागों में तैयार किया जा सकता है- एक भाग में बहुविकल्प प्रश्न होंगे और दूसरे में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे।
- ग्रेड 10 और 12 के अंत में प्रगति को ट्रैक करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों के लाभ के लिए और स्कूलों तथा पूरी स्कूली शिक्षा

प्रणाली में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के उद्देश्य से **सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3,5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी।** ग्रेड 3 की परीक्षा बुनियादी साक्षरता, संख्याज्ञान और अन्य मूलभूत कौशलों का परीक्षण करेगी। स्कूल परीक्षाओं के परिणामों का उपयोग केवल स्कूल शिक्षा प्रणाली के विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

- विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिद्धांत समान होंगे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा लेने का काम करेगी। इन परीक्षाओं में अवधारणात्मक समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता की जाँच की जाएगी और इन **परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करने पर जोर रहेगा।**

विशेष प्रतिभा वाले और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सहायता

- प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात प्रतिभाएँ होती हैं, जिन्हें खोजा जाना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए।
- शिक्षकों का उद्देश्य छात्रों को पूरक संवर्धन सामग्री और मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देकर कक्षा में प्रोत्साहित करना होगा। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- देशभर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा।
- स्कूल चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट कक्षा-कक्ष विकसित करेंगे ताकि डिजिटल शिक्षणशास्त्र का उपयोग हो सके और उसके द्वारा ऑनलाइन संसाधनों तथा सहयोग के साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को समृद्ध किया जा सके।

5. शिक्षक

- **शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे।** विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनकी जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। **अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है।** शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम सम्भव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

  नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। शिक्षकों के लिए उचित दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान की भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षा व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सकें।

- उत्कृष्ट विद्यार्थी ही शिक्षण विषय में प्रवेश कर पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट- 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट मेरिट आधारित छात्रवृत्ति स्थापित की जाएगी जिसमें 4 वर्षीय बीएड डिग्री पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार सम्मिलित होगा।

उत्कृष्ट शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें वहाँ स्थानीय आवास का प्रावधान अथवा आवास भत्ते में वृद्धि सम्मिलित हैं।

- **अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। बहुत विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण किए जाएंगे जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा होंगे।**
- शिक्षण के प्रति उत्साह एवं जोश को जाँचने के लिए कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना शिक्षक भर्ती। प्रक्रिया का एक अंग होगा। इन साक्षात्कार का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा।
- यह प्रत्येक स्कूल कांपलेक्स में स्थानीय परिवेश के कुछ शिक्षकों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा।
- छात्रों को लाभान्वित करने एवं स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों अथवा विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- शिक्षकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट, पुस्तकालय, खेल एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाएँ।
- शिक्षकों का ज्यादातर समय गैर शिक्षण गतिविधियाँ करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंध नहीं है उनको कहने की अनुमति नहीं होगी ताकि वह शिक्षण अधिगम कार्य में पूरा ध्यान दे सकेंगे।
- शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें

जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो।

- सेवारत शिक्षकों के लिए आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत् अवसर दिए जाएंगे।
- इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा।
- प्रत्येक संस्था प्रधान एवं शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यवसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लें।
- एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी।
- कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 14 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। साथ ही वर्ष 2030 तक शिक्षक शिक्षा को बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालय में शामिल किया जाएगा।
- जिन्होंने पहले से अन्य विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली है उनके लिए 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे।
- इन बीएड कार्यक्रमों को 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहु स्नातक डिग्री या किसी विशिष्ट कार्य में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशेष विषय में विशेष शिक्षक बनना चाहते हो।

- इस प्रकार की सभी बीएड डिग्रियाँ केवल 4 वर्षीय एकीकृत बीएड उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।
- स्थानीय व्यवसाय ज्ञान और कौशल जैसे स्थानीय कला, संगीत, कृषि व्यवसाय, खेल, बढ़ईगिरी एवं अन्य व्यवसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूल या स्कूल परिसरों में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

6. समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम

- शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से सम्बन्धित परिस्थितियाँ बाधक न बन पायें।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अन्तरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है किन्तु असमानता आज भी देखी जा सकती है। स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है। नामांकन में यह गिरावट सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) में अधिक है और विशेषकर इन एसईडीजी की महिला विद्यार्थियों के सन्दर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है।
- विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं।
- यह नीति आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के

समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है।

- **स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को अपनी परम्पराओं और वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।** इसके साथ-साथ उन्हें अपने विषयों, शिक्षण क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप एकीकृत करने में सहायता प्रदान की जायेगी ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों की कम प्रतिभागिता को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सके।
- रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालयकर्मियों इत्यादि द्वारा लायी गयी इस नई स्कूली संस्कृति व पाठ्यक्रम में आये परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा।

7. स्कूल कॉम्प्लेक्स/कलस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस

- छोटे स्कूलों के अलगाव का भी शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। **शिक्षक समुदायों और टीमों में सबसे अच्छा काम करते हैं और इसी प्रकार छात्र भी करते हैं।**
- **स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है। इसे बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी पहुँच पर कोई प्रभाव न पड़े।**
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया

अपनाकर समाधान किया जाएगा। फाउंडेशन स्तर से सैकण्डरी स्तर के ऐसे स्कूलों के समूह को **एक एकीकृत अर्थ-स्वायत्त इकाई** के रूप में देखा जाये।

- **एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा जिसमें पाँच से दस किलोमीटर के दायरे में आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालय होंगे।**
- स्कूल कॉम्प्लेक्स/ कलस्टर बनने से और कॉम्प्लेक्स में संसाधन के साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग, ज्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में अकादमिक/ खेल/ कला/ शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन, कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साझे उपयोग से कक्षा में वर्चुअल कक्षाएँ आयोजित करने के लिए आईसीटी टूल्स के उपयोग सहित इन गतिविधियों का ज्यादा समावेश, स्कूलों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता-पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े और जीवंत समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था उर्जावान और समर्थ बनेगी।
- **स्कूल, कॉम्प्लेक्स/ क्लस्टर व्यवस्था से विद्यालयों का गवर्नेंस भी सुधरेगा और अधिक कुशल बनेगा।**
- इन कॉम्प्लेक्स/ क्लस्टर द्वारा दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक सन्दर्भ में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति का विकास होगा। स्कूल एसएमसी की मदद से अपनी योजनायें (एसडीपी) बनायेंगे।
- निजी और सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देशभर में एक निजी और एक सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर सम्बद्ध किया जायेगा जिससे ऐसे सम्बद्ध स्कूल एक दूसरे से मिल/ सीख सकें और सम्भव हो तो एक-दूसरे के

संसाधनों से भी लाभान्वित हो सकें।

- **हर राज्य/जिले को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वह 'बाल भवन' स्थापित करें जहाँ हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सकें और कला, खेल और कॅरियर सम्बन्धी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें।** ऐसे बाल भवन जहाँ सम्भव हो स्कूल कॉम्प्लेक्स/ क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं।
- **एक संस्थान के रूप में स्कूल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहिए और स्कूल स्थापना दिवस जैसे महत्त्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाये जाने चाहिए। स्कूल एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी भूमिका निभायें।**

8. स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन

- प्री स्कूल शिक्षा- निजी, सार्वजनिक और परोपकारी सहित आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) नामक एक स्वतंत्र, राज्यव्यापी निकाय की स्थापना करेंगे।** एसएसएसए कुछ बुनियादी मानों पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा जिसका पालन सभी स्कूलों द्वारा करना होगा। **एससीईआरटी द्वारा विभिन्न हितधारकों विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए इन मापदंडों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।**
- एसएसएसए के सभी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्कूलों द्वारा वर्तमान में वहन किए जाने वाले नियामक जनादेशों में भारी कमी आएगी।

9. भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

- **भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है।** भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार देश की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न सिर्फ राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।
- **संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है।**
- **भाषा, निःसंदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।** विभिन्न भाषाएँ दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। **अतः संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है।** संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।
- कई उपाय करने के पश्चात् भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए।
- **भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा** जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री और अन्य महत्त्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशसन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना की जायेगी।
- **संस्कृत भाषा के वृहद् एवं महत्त्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्त्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते**

संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूलों में त्रि-भाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में भी संस्कृत विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतरविषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं उन्हें संपूर्ण नवीन बहु विषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित/ मजबूत किया जाएगा। **शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहु विषयक बीएड डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी।**

10. प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण

- **भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है।** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। **सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच द्विदिश सम्बन्ध है।**
- शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के उपयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा एवं अंगीकृत किया जाएगा बशर्ते कि वृहद् स्तर पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक सन्दर्भों में ठोस एवं पारदर्शी ढँग से आकलन किया गया हो। **एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा।** यह नवीनतम ज्ञान व अनुसन्धान के साथ-साथ सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को एक-दूसरे से साझा करने और परामर्श के अवसर प्रदान करने का कार्य करेगा।

- सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाये जायेंगे। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित **शिक्षण एवं अधिगम सम्बन्धी ई-कन्टेन्ट दीक्षा प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाएगा।**
- संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्यतः रूप से रूपांतरित करने में तेजी से उभरती परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की इन तीव्र और युगान्तकारी परिवर्तनों का सामना करने की असमर्थता इस तेजी से प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में हमें खतरनाक और हानिकारक स्थिति की ओर ले जा रही है।
- एनईटीएफ के स्थायी कार्यों में से एक उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उनकी क्षमता व परिवर्तन लाने की अनुमति, समय सीमा के आधार पर वर्गीकृत करना और समय-समय पर इन विश्लेषणों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन सूचनाओं के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय औपचारिक रूप से ऐसी प्रौद्योगिकी को चिह्नित करेगा जिनके उद्भव के लिए शिक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया आवश्यक होगी।

।। इति ।।

राजस्थान शिक्षक संघ

82, पटेल कॉलोनी, गवर्मेन्ट प्रेस के सामने, सी-स्कीम, जयपुर -302001